

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 218

08/12/2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति

218. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 15 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक सामग्री हिंद महासागर को उत्तरी प्रशांत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित महासागर बना देती है, यदि हां, तो राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या खुले और तटीय महासागरों में प्लास्टिक (मेक्रो, माइक्रो और नैनो प्लास्टिक) के स्थानिक और अस्थायी वितरण के संबंध में आंकड़े तैयार करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति के निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।
- (i) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के माध्यम से भारतीय तटों और निकटवर्ती समुद्रों के साथ समुद्री कचरे के अस्थायी और स्थानिक वितरण की निगरानी करने और समुद्री कचरे के वितरण को मानचित्रित करने के लिए कई अध्ययन शुरू किए हैं।
- (ii) इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFF&CC) ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली, 2016 और इसके संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिनमें देश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचों का प्रावधान है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 में देश में पचास माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों को "प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देश" और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2022 पर राजपत्र अधिसूचना भी जारी की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने स्वच्छ और सतत पर्यावरण विकसित करने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान", स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो समुद्री कचरा नीति में योगदान करते हैं।

(ख) जी, हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र(NCCR), ने भारत के पूर्वी तट के शेल्फ क्षेत्र से सतह के पानी और तलछट में कचरे (मुख्य रूप से मेसो, मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक्स) की मात्रा निर्धारित करने पर अध्ययन किया। माइक्रो/मेसो/मैक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए तटीय जल, समुद्र तट और अपतटीय तलछट और बायोटा के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। मानसून के दौरान पूर्वी तट पर माइक्रोप्लास्टिक्स की बहुतायत में वृद्धि देखी गई है। नदी के मुहाने के पास के सैंपलिंग स्टेशनों में माइक्रोप्लास्टिक्स की संख्या अधिक थी। समुद्र तट के कचरों के सर्वेक्षण से पता चला है कि इंटरटाइडल जोन की तुलना में बैकशोर में अधिकतम संचय होता है। पीयर रिव्यूड जर्नल में परिणाम प्रकाशित हुए और जनता के लिए सुलभ थे।
